हुक्म

25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री शिशराम पुत्र श्री बिरजूसिंह महिया जाति जाट निवासी– काकड़ियों की ढाणी पोस्ट कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर सीकर, मैसर्स– शिशराम पनीर उद्योग, काकड़ियो की ढाणी पोस्ट कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 03.02.2022 को समय 1:30 पी.एम. पर कंचनपुर, श्रीमाधोपुर में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स शिशराम पनीर उद्योग, में अप्रार्थी द्वारा पनीर का विक्रय कर रहे थे। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया शिशराम से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2022 होना बताया व दिखाया

फर्म पर श्री शिशराम द्वारा पनीर का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध पनीर के 60 किग्रा स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना तैयार कर नमूना जांच पनीर 1 किलो खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मुकेश कुमार यादव को 240रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2595 खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अमानक पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 50,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 [illegible] के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं [illegible] कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि [illegible] पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य [illegible] में लायी जायेगी। आदेश आज [illegible] 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो[illegible] दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार).
अति. जिला कलेक्टर,
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner